राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः– प. 4(1)कार्मिक/क–2/अं.प्र./2006 जयपुर, दिनांकः–04 फरवरी, 09

परिपत्र

समस्त शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव

विषयः– विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों के आयोजन के संबंध में

विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकों के समयबद्ध आयोजन किये जाने के संबंध में इस विभाग द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी करते हुए यह अपेक्षा की जाती रही है कि विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया जावे। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित होने से जहां कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ प्राप्त होगा वहीं पद भी रिक्त नहीं रहेंगे और उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी ।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा विभागीय पदोन्नति समितियों का नियमित आयोजन नहीं किया जा रहा है और विगत कई वर्षों की विभागीय पदोन्नति समितियों का आयोजन किया जाना शेष है। यह स्थिति निश्चित रूप से संतोषजनक नहीं है।

अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि समस्त प्रशासनिक विभाग एवं विभागाध्यक्ष अब तक की बकाया वर्षो की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र आयोजित करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त आपके अधिनस्थ विभागों में अवशेष विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों की **सूचना निम्न प्रपत्र में 3 दिन** में इस विभाग को आवश्यक रूप से उपलब्ध करवावें।

विभाग/सेवा	पदनाम	पदोन्नति वर्ष जिसकी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किया जाना शेष है।	विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं करने के कारण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5

भवदीय,

(परविन्दर सिंह)
शासन प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकितों को प्रेषित हैः–
1.प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान ।
2.उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान ।
3.निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, राजस्थान ।
4.समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर एवं संभागीय आयुक्त सहित) ।

(बी. के. दोसी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भी प्रेषित है।

शासन उप सचिव

04/2009

My com/D/Kailash/4(1)06-4